

बिहार सरकार,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
भू-अर्जन प्रशाखा,  
(अधिसूचना)

पत्रांक...../आर०, पटना, दिनांक.....

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि किशनगंज जिला के कोचाधामन अंचल अन्तर्गत मौजा -कुट्टी, थाना नं० -426 के अंचल -कोचाधामन, जिला - किशनगंज में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार के उपक्रम) के सबस्टेशन परिसर के लिए सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इस लिए अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा - कुट्टी, थाना नं० - 426 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोबेश रकवा 22.84 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है :-

ख़ाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा (एकड़ में)
123	757(P)	3.54
123	758(P)	6.40
173	759(P)	8.56
173	760(P)	3.40
97	784(P)	0.60
97	789(P)	0.34
कुल ::		22.84

चौहद्दी :- उत्तर :- खेसरा संख्या-757 अंश, 758 अंश  
दक्षिण :- खेसरा संख्या-789 अंश, 784 अंश, 783, 759 अंश, 760 अंश, 764, 761  
पूरब :- सीमा मौजा- बरमसिया व सड़क  
पश्चिम :- खेसरा संख्या- 754 अंश, 756 एवं 790

यह अधिसूचना बिहार भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (समय-समय पर संशोधित) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन उन सभी रैयतों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में कार्यालय दिवस को देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंधित आरंभिक तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए तथा अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

*(Handwritten Signature)*  
समाहर्ता,  
किशनगंज।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
Eo -  
सरकार के उरसचिव,

ज्ञापक.....-229/रा०/भू-अर्जन, पटना, दिनांक...24.01.13

प्रतिलिपि :: निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियाँ सहित (दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो) प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट, किशनगंज को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित जिला गजट की दस-दस (10-10) प्रतियाँ इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: समाहर्ता, किशनगंज / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि आयुक्त, पुर्णियाँ प्रमंडल, पुर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उरसचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।